

न्यायालय जिला जज, रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-39/2026

CNR No.-UPRN01-001792-2026

धर्मेन्द्र सिंह आदि

बनाम

अजीत कुमार आदि।

01.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

आवेदक धर्मेन्द्र सिंह आदि की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा 4 ग अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी०पी०सी० शपथपत्र 5 ग के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संख्या-94/2025 धर्मेन्द्र सिंह आदि बनाम अजीत कुमार आदि न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (जू०डि०), कानपुर देहात में विचाराधीन है जबकि इसी प्रकरण से संबंधित अवमानना याचिका प्रकीर्ण वाद संख्या-80/2025 धर्मेन्द्र सिंह आदि बनाम अजीत कुमार आदि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कानपुर देहात में विचाराधीन है। न्यायहित में दोनों वादों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों वाद किसी एक सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेशपत्रक में इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि उन्हें उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान सिविल जज (जू०डि०) कानपुर देहात की आख्यानुसार प्रकीर्ण वाद संख्या-80/2025 धर्मेन्द्र सिंह बनाम अजीत सिंह आदि उनके न्यायालय में विचाराधीन है। विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट संख्या-2 कानपुर देहात की आख्यानुसार मूलवाद संख्या-94/2025 धर्मेन्द्र सिंह आदि बनाम अजीत कुमार आदि उनके न्यायालय में विचाराधीन है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि आवेदक द्वारा मूलवाद संख्या-94/2025 से उद्भूत अवमानना याचिका प्रकीर्ण वाद संख्या-80/2025 होना बताया गया है। अतः दोनों वादों की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। विपक्षीगण द्वारा भी अन्तरण प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गयी। अतएव अन्तरण प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है।

प्रकीर्ण वाद संख्या-80/2025 धर्मेन्द्र सिंह बनाम अजीत सिंह आदि विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कानपुर देहात से वापस लेकर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या-2 कानपुर देहात में स्थानान्तरित की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को भेजी जाए।

तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(रविन्द्र सिंह)

जिला जज,

रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

J.O. Code-UP02003